मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त, 2001 (भाद्र 2, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1995 की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5/3/99-वि.क-पांच (8), दिनांक 2 मार्च, 2001 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम-इकतीस, दिनांक 1 मई, 2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे :-

(क) क्रमांक एफ-1-3-बाईस-पं.-2-99, दिनांक 12 अप्रैल, 2001; तथा
(ख) क्रमांक एफ-1-8-2001-बाईस-पं.2, दिनांक 11 जुलाई, 2001.

(4) श्री धनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-1-2000-एक-10, दिनांक 26 मार्च, 2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद स्थित जिला शासकीय चिकित्सालय परिसर के कुएं में उपयोगी दवाईयां पाई जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल स्थित केन्द्रीय जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष की घटना की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री सुनील नायक, जयंत कुमार मलैया, मुंशीलाल, सदस्य, दमोह जिले के बटयागढ के पास स्थित नाले में बस के गिरने से कई यात्रियों की मौत होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री कमल पटेल, लक्ष्मण सिंह गौड़, मुंशीलाल, सदस्य, हरदा जिले में बाढ से हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले के -

(क) ग्राम खारूवा स्थित विद्या मंदिर प्राथमिक शाला को शासनाधीन किये जाने,
(ख) ग्राम जामकोटा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पुनासा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराये जाने,
(ग) मूंदी-धारकवाड़ी-पुरनी एवं पुरनी-जामकोटा-पिपलकोटा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; तथा
(घ) केलवा-कालमुखी मार्ग के कावेरी एवं अमाग नदी पर पुल बनाये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

-2-

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 13 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय 2 घन्टे

मानव अधिकार आयोग का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा आयोग की क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन पर चर्चा.

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का मत है कि प्रदेश के शासकीय संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा के ज्ञाता उपाधिधारी को ही प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया जाय."

(2) सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, रमेश सक्सेना, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "सदन का मत है कि प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हेपेटाइटिस "बी" का टीकाकरण निःशुल्क कराया जाना अनिवार्य किया जाय."

(3) श्री रसाल सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि प्रदेश में परमाणु बिजली घरों की स्थापना की जाय."

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 अगस्त, 2001